


:: कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

॥ विज्ञप्ति ॥

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन में जन सामान्य की सुविधा हेतु दुध एवं दुग्ध उत्पादों से संबंधित सामग्री के विक्रय हेतु एक स्मार्ट मिल्क पार्लर स्थापित किया जाना है। जिसके लिए राज्य स्तरीय दुग्ध संस्थाओं के सीलबंद लिफाफे में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

उक्त स्मार्ट पार्लर हेतु केवल वही संस्थायें आवेदन करें जो राज्य स्तरीय दुग्ध कॉ-आपरेटिव सोसायटी में पंजीकृत होकर सहकारी संस्था हो।

स्मार्ट मिल्क पार्लर स्थापित किये जाने हेतु संस्थाओं द्वारा आवेदन दिनांक 23.03.2023 तक कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते हैं। संस्था का चयन होने के उपरांत संस्था द्वारा ही पात्र व्यक्ति का चयन विधिवत प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।


वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)